



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

31

215131

कर दिया और बेच डाला और समस्त विक्रय मूल्य निम्नानुसार

प्रथम पक्ष विक्रेतागण ने द्वितीय पक्ष क्रेता से प्राप्त करके विक्रित

भूमि को अपने अधिकार, स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि से

हस्ताक्षर

मो. ५ गार





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

215132

32

निकालकर क्रेता के अधिकार, स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि में देकर

उनको व्यक्तिगत स्वामी एवं वास्तविक अधिकारी बना दिया। अब

प्रथम पक्ष विक्रेतागण का कोई अधिकार या स्वत्व विक्रित भूमि से

मुआयना-५ को. ५ उमर

32



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

33



सम्बन्धित भविष्य के लिये शेष नहीं रहा और न होगा। वास्तविक

परिवर्तन कार्यान्वित हुआ। यह विक्रय पूर्णतया उचित वैधानिक एवं

मान्य है तथा प्रयोग होने योग्य है। कब्जा विक्रित भूमि का स्थल

मुआवजा २०-३-३०



33



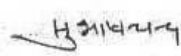
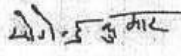
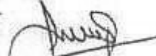
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

. 34 .

पर कतई खाली का द्वितीय पक्ष क्रेता को प्रदान कर दिया है तथा

क्रेता ने विक्रित भूमि का वास्तविक एवं भौतिक अधिपत्य स्थल पर

प्राप्त कर लिया है। क्रेता उपरोक्त भूमि को अपनी इच्छानुसार



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

215135

35

प्रयोग में ला सकेंगे। किसी को कोई आपत्ति न होगी। क्रंता अपना

नाम राजस्व अभिलेखों में बतौर स्वामी अंकित कराने के पूर्ण

अधिकारी रहेंगे यदि इस हेतु प्रथम पक्ष विक्रेतागण की सहमति एवं

मुआवजा

प्रीत उमा

*[Signature]*



35